

16-4-18

कमील जर्जीगण उपस्थित। अर्थात् सं 11 से 13 गाम गोदाना के निवास नहीं करने ली-नोटिस पर रिपोर्ट प्राप्त। अतः कमील जर्जी जर्जी को के सम्मान/नोटिस तलवाना फेश करे जो फेश देवे पर जारी हो। कमील जर्जी ने पूर्व चेरी पर झोरेसित छिए जाने के बावजूद अर्थात् सं 14 व 15 के नोटिसान के काभरमुकाम के सम्मान तलवाना फेश नथी छिए, उन्हे हीतिन डिकसुर रिडा जाता है। तीव रिडिस से उन्हापु रिड नोटिस/सम्मान तलवाना डिकसुरक केर सं फेश करे अन्यथा उन्हाण डाम तलवाना में झोरिस छिया जाकेगा। सिमल रिना 15-05-18 को फेश हो।



पीयूष समारिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

27-4-18

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल नम्बर गोदाना... में दिनांक 15-5-18 को फेश हो।

15-5-18

पीयूष समारिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

पत्रावली भान राजस्व लोक अदालत के मय कोर्ट गोदाना में फेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। जिनके खिलाफ उक्तरण सं 107/15 में करवाए गए। उपस्थित पक्षकारान को बुलाया गया तथा साक्षर की गई जिनमें कोई आपसी सहमति नहीं थी। पत्रावली व मूल उक्तरण सं 128/2011 को डि. 8-6-15 को न्यायालय के झोरेसो की पालना नहीं किये जाने के कारण झोरिस छिया। कमील रेस्टोरेशन की पत्रावली में भी झोरिस छिया। जर्जीगण ने नोटिस फेश नहीं छिए हैं तथा उस बाबत रिपोर्ट 16-4-18 को उन्हे रिदापत भी की गई, इसके बावजूद न्यायालय के झोरिसो की पालना अभी तक नहीं की जा रही है। अतः पत्रावली साक्षर बुलाव होकर नम्बर से करवाए जाते हैं। मिसल फेश बुलाव होकर नम्बर से करवाए जाते हैं।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर